राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक-05.02.2026 को विकास एवं कल्याणकारी विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विभागवार विकासात्मक कार्यों के समीक्षोपरांत निम्नाकित निदेश दिये गये :-

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित जिलावार कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- जिलों में लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्ति का रोस्टर तैयार कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन कराते हुए विभागीय निदेशों के आलोक में यथाशीघ्र उक्त रिक्तियों को भरने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।
- राशन कार्ड निर्माण एवं रद्दीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा में जाँच कर निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।
- सत्यापन हेतु लंबित Suspected लाभुकों के राशन कार्ड का यथाशीघ्र अभियान चलाकर सत्यापन कराया जाय। अयोग्य राशन कार्ड को नियमानुसार समयवद्ध रूप से रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

लाभार्थी का e-kyc

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल लाभार्थी की संख्या	पूर्ण की गई e-kyc की संख्या	लंबित e-kyc की संख्या	e-kyc का प्रतिशत
1	पूर्णिया	2732042	2295079	436963	84.01
2	कटिहार	2973218	2334729	507076	82.16
3	अररिया	-	-	-	-
4	किशनगंज	1602838	1258606	344232	78.52

- समीक्षा के क्रम में पूर्णिया प्रमंडलान्तर्गत पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज जिले में अबतक क्रमशः 16 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 22 प्रतिशत लाभार्थी का **e-kyc** लंबित है। अररिया जिले से प्रतिवेदन अप्राप्त है। सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यथाशीघ्र सभी लाभार्थी का **e-kyc** करने का निदेश दिया गया। लंबित मामलों के सदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से शीघ्र जाँच कराया जाए। तथा अयोग्य राशन कार्ड को नियमानुसार समयवद्ध रूप से रद्द करने की कार्रवाई की जाय।
- PDS दुकानों का निरीक्षण में पाई गई अनियमितता के विरूद्ध कार्रवाई में शिथिलता बरते जाने का शिकायत प्राप्त हो रही है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी पिछले तीन माह में परख ऐप के माध्यम से PDS दुकानों का निरीक्षण में पाई गई अनियमितता के विरूद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
- समीक्षा में राशन कार्ड के आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से Approve हो जाने के बाद भी लंबित रहने के संबंध में अवगत कराया गया। इस संबंध में बताया गया कि हैदराबाद की कम्पनी के द्वारा राशन कार्ड तैयार किया जाता है। Synchronize नहीं होने के कारण यह समस्या आ रही है। उक्त तथ्य से यथाशीघ्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराते हुए इसके समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाय।

सहकारिता विभाग

धान अधिप्राप्ति के कार्यों की समीक्षा की गई। धान अधिप्राप्ति की जिलावार स्थिति निम्नवत् है :-

मात्रा-एमटी0 में

क्र0	जिला का नाम	प्रस्तावित धान का लक्ष्य	अब तक कुल धान क्रय की मात्रा	लक्ष्य के विरूद्ध क्रय का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	पूर्णिया	104202	58859.601	56.49	
2	कटिहार	92200	43016.524	46.66	
3	अररिया	77543	44375.669	57.23	
4	किशनगंज	103388	58413.786	54.24	

- विभागीय लक्ष्य के अनुरूप किसानों से धान अधिप्राप्ति किया जाय तथा अधिप्राप्त धान के समानुपातिक CMR ससमय जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। किसानों से क्रय किये गये धान का विभागीय नियमानुसार ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

ग्रामीण विकास विभाग

Physical Progress Report of FY 2025-26 as on 02.02.2026									
S.No.	District	Target	Sanction	Pending Sanction	1st Installment Paid	2nd Installment Paid	Pending 2nd Installment	3rd Installment Paid	Houses Completed
1	Purnea	10426	10411	15	9400	1212	8188	95	89
2	Katihar	102208	101528	680	100734	94377	-	87152	87502
3	Araria	54838	54828	10	50339	11765	38574	517	1815
4	Kishanganj	18292	18292	62	16892	6559	10333	427	627

- समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध बहुत से लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। जिस कारण लाभुक के स्तर से आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। उप विकास आयुक्त अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर यथाशीघ्र प्रथम किस्त के भुगतान की कार्रवाई करेंगे तथा जिन मामलों में अंतिम किस्त का भुगतान हो चुका है वैसे मामले की जाँच कर आवास निर्माण पूर्ण करवाने की कार्रवाई करेंगे।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत जितने भी योजनाओं का चयन किया गया है उसका ससमय कार्य प्रारंभ कराया जाय।
- मनरेगा योजना के तहत मानव दिवस सृजन में विभागीय लक्ष्य को पूर्ण कराया जाय। साथ ही मनरेगा योजना के तहत किये जाने वाले कार्य यथा वृक्षारोपण, अमृत सरोवर योजना, खेल मैदान निर्माण, Rain Water Harvesting, सोख्ता निर्माण, मिट्टी भराई कार्य आदि में प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने तथा संवेदक द्वारा कराये जा रहे कार्यों का समय-समय पर जाँच किये जाने का निदेश दिया गया।

कृषि विभाग

PM-KISAN :: EKYC ::							
Sl. No.	District Name	Total Active Farmers	Total eKYC done	Total eKYC Done in %	Total eKYC pending	Total eKYC Pending in %	Total Aadhaar Authenticated, Land Seeding, PFMS Accepted and eKYC Done
1	ARARIA	279,837	278,978	99.69	860	0.31	268190

2	KATIHAR	215177	214722	99.79	455	0.16	208232
3	KISHANGANJ	107843	107829	99.99	14	0.00	1,04,416
4	PURNIA	203704	203698	100.00	6	0.00	199245
Total:		**806,561**	**805,227**	**99.83**	**1,335**	0.48	**675,667**

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों का विभागीय निदेशों का अनुपालन करते हुए E-KYC करने का निदेश दिया गया। संबंधित पदाधिकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जाँचोपरांत निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
- उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त होती रहती है जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। जिला कृषि पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानों की जाँच करायेंगे तथा जाँच में अनियमितता पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करेंगे।

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

- सभी सिविल सर्जन को सरकारी अस्पतालों एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में ईलाजरत मरीजों को दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया।
- अवैध नर्सिंग होम/अवैध पैथॉलोजी/अवैध मेडिकल प्रैक्टिश्नर से संबंधित लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। सिविल सर्जन अभियान चलाकर ऐसे नर्सिंग होम/पैथॉलोजी/मेडिकल प्रैक्टिश्नर की जॉचकर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।
- Project Manager, BMSCIL, Araria द्वारा बताया गया कि 15 जगहों पर अंचल अधिकारी (नरपतगंज, भरगामा, रानीगंज) से NOC नहीं मिलने के कारण Health and wellness center में prefab का कार्य नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, अररिया को अपने स्तर से अनुश्रवण कर यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

शिक्षा विभाग

- समीक्षा के क्रम में सभी विद्यालय में प्रबंध समिति की बैठक कराने का निदेश दिया गया तथा विद्यालय अनुरक्षण मद से भवन मरम्मति, साफ-सफाई, डेस्क-बैंच आदि की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।
- बैठक में उपस्थित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लाईव क्लासेस चलाने का निदेश दिया गया। साथ हीं शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।
- जिस विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक नहीं हुआ है। वैसे सभी विद्यालय में प्रबंधन समिति की बैठक यथाशीघ्र करायी जाय। ताकि विद्यालय का रख रखाव एवं अन्य कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।
- समीक्षा में उप निदेशक, शिक्षा द्वारा बताया गया कि RTE के तहत निजी विद्यालयों में जो बच्चे नामांकित है उसकी जाँच कर प्रतिपूर्ति की राशि दी जानी है। जिसमें अररिया जिले में कुल 111 में से 04 मामलों की जाँच की गयी है शेष 107 मामले जिला पदाधिकारी, अररिया के स्तर से लंबित है। Post matric School Verification के कई मामले जिला पदाधिकारी के स्तर से लंबित है। उक्त कार्य जिला पदाधिकारी के माध्यम से गठित कमिटि के द्वारा किया जाता है। Verfication नहीं होने से राज्य एवं राज्य के बाहर पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलशिप की राशि समय पर नहीं मिल पा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारी को Post matric School Verification के लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया जाता है।

<u>पंचायती राज विभाग</u>

- निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों को अतिशीघ्र पूरा करने तथा पंचायत सरकार भवन हेतु जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को निदेशित किया गया।
- जिस पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, प्राक्कलन के अनुसार उसकी गुणवत्ता एवं विशिष्टि की जाँच करा लिया जाय। तदोपरांत नियमानुसार पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण की कार्रवाई किया जाय।

- समीक्षा के क्रम में कतिपय पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन होने के पश्चात् भी उसका हस्तांतरण अभी तक संबंधित विभाग को नहीं करने का मामला संज्ञान में आया है। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर हस्तांतरण की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाईट योजना का लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया गया। इस योजना के तहत जो सोलर लाईट पूर्व में लगाई गई है उसके खराब होने की शिकायत होती रहती है। सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर खराब सोलर लाईट को चिन्हित कर उसकी मरम्मति कराने हेतु निदेशित किया गया।
- उप विकास आयुक्त पंचायत सरकार भवन में सभी कर्मियों के ससमय कार्यालय में रहने एवं उनके कार्यो की जांच समय समय पर करते रहेंगे।
- <u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>
- आपका शहर आपकी बात, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, 7 निश्चय एवं 7 निश्चय-2 अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना तथा जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत सार्वजनिक तालाब/पोखर/ कुआँ का जीर्णोधार सहित कुओं एवं सार्वजनिक चापाकल के निकट सोख्ता का निर्माण का लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने हेतु निदेश दिया गया।
- मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया।

<u>अभियंत्रण विभाग</u>

- सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जल संसाधन विभाग को निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माणधीन योजनाओं को पूर्ण करने तथा तीन माह से अधिक विलंबित निर्माणाधीन योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त भू-अर्जन में भूमि उपलब्धता से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से संबंधित जिलावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

<u>पशु पालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग</u>

- पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराकर पशुपालकों के बीच जागरूकता हेतु पंचायत स्तर पर कैम्प लगाने का निदेश दिया गया ताकि अधिक से अधिक संख्या में पशुओं का टीकाकरण किया जा सके। इस संबंध में क्षेत्रीय पशुपालन पदाधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

<u>कल्याण विभाग</u>

- समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि पी0ओ0ए0 एक्ट के तहत काफी आरोप पत्र पुलिस अधीक्षक के स्तर से अप्राप्त है जो खेदजनक है। इसमें सबसे पुराने मामले का जल्द निष्पादन किया जाय तथा मुआवजा राशि का भुगतान किया जाय।
- PoA Act के तहत प्राप्त आरोप पत्र की संख्या शून्य करने निदेश दिया गया, साथ ही उप निदेशक, कल्याण, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रमंडलान्तर्गत सभी जिला कल्याण, पदाधिकारी के साथ एक बैठक करेंगे।
- अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय में भोजन एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- सभी आँगनबाड़ी केन्द्र का नियमित संचालन किया जाय तथा कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाय।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति, भुगतान के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही पेंशन हेतु अयोग्य आश्रित के मामले के जाँच करना सुनिश्चित करेंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से किया जाय।
- आवासीय विद्यालय का निरीक्षण सभी स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से किया जाय। साथ ही खाना और शौचालय पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करेंगे।
- आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास में संसाधनों के संबंध में यथा सोलर पैनल अधिष्ठापन, जेनरेटर संचालन एवं Digital Class के सुचारू रूप से संचालन की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- सामुदायिक भवनों के निर्माण के संबंध में अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
- आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला, कम्प्यूटर एवं CCTV कैमरा के अधिष्ठापन एवं उसकी क्रियाशीलता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
- विकास मित्रों का मानदेय/स्टेशनरी सामानों के भुगतान के संबंध में विभागीय निदेश के आलोक में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
- विभागीय दिशा निदेश के आलोक में पोषाहार वितरण में विशेषकर अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाना सुनिश्चित करें।

<u>उद्योग विभाग</u>

- कटिहार जिला में संबसे पुराना Project Storm Drainage Water का है जो पिछले पाँच वर्षों से पूर्ण नहीं हुआ है। DGM, BUIDCO द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य एक वर्ष के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा। DGM, BUIDCO कटिहार को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक.....दिनांक.....

प्रतिलिपि :- जिला पंदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, खाद्य/पंचायत राज/कल्याण/मत्स्य/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/संयुक्त निदेशक, शस्य/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया/कटिहार/उप विकास आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सिविल सर्जन/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णिया/ कटिहार/अररिया/ किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- DGM, BUIDCO/अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग, पूर्णिया प्रमंडलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक ...732...... सहरसा, दिनांक 07/02/2026

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया ।